पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर, ऋषिकेश
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
Email : sdsuvrishikesh@gmail.com

दिनांक : 07.08.2024

आवश्यक सूचना

पं0 ल0 मो0 शर्मा परिसर ऋषिकेश के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से सत्र 2024–25 के लिए छात्रवृत्ति हेतुं आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1493/स0क0/छात्र0/ओ0टी0आर0/2024–25 दिनांक 05 अगस्त 2024 के क्रम में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) पर नवीन शैक्षणिक वर्ष 2024–25 के ऑनलाइन पंजीकरण करने से पूर्व छात्र/छात्राओं का ओ0टी0आर0 (One Time Registration) का प्रावधान किया गया है। ओ0टी0आर0 (One Time Registration) किए जाने हेतु आधार/आधार नामांकन आई0डी0 के आधार पर जारी किया गया एक विशेष 14 अंकों का नम्बर है जिससे प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। यह नम्बर छात्र/छात्रा के सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि के दौरान लागू होगा।

अतः राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले अर्ह छात्र/छात्राएं इस सूचना के साथ संलग्न जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र का अवलोकन कर आवश्यक दिशा–निर्देशों के अनुसार अपना ओ0टी0आर0 (One Time Registration) बनाना सुनिश्चित करें।

(प्रो0 एम0 एस0 रावत)
निदेशक

पृ0सं0 : 386 /प0 ल0 मो0 शर्मा परिसर/छात्रवृत्ति/2024–25 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति महोदय, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,बादशाहीथौल (टि.ग.)
2. कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,बादशाहीथौल (टि.ग.)
3. कार्यालय प्रति।

7.8.24

(प्रो0 एम0 एस0 रावत)
निदेशक

प्रेषक, ई–मेल समयबद्ध / अतिमहत्वपूर्ण।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य / संस्थाध्यक्ष / प्रधानाचार्य,
समस्त शैक्षणिक संस्थान,
देहरादून।

पत्रांकः 1493 / स0क0 / छात्र0 / ओ0टी0आर0 / 2024–25 दिनांकः 05 अगस्त, 2024

विषयः राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) पर छात्र–छात्राओं का ओ0टी0आर0 (One Time Registration) किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) पर नवीन शैक्षणिक वर्ष 2024–25 के ऑनलाईन पंजीकरण करने से पूर्व छात्र–छात्राओं का ओ0टी0आर0 (One Time Registration) का प्राविधान किया गया है। ओ0टी0आर0 (One Time Registration) किए जाने हेतु आधार / आधार नामांकन आई0डी0 के आधार पर जारी किया गया एक विशेष 14 अंको का नम्बर है जिससे प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी यह नम्बर छात्र–छात्रा के सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि के दौरान लागू रहेगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) पर ओ0टी0आर0 (One Time Registration) किए जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा–निर्देश निम्नलिखित हैं–

➢ **One Time Registration (OTR) किए जाने हेतु आवश्यक क्रियाकलाप एवं दिशा–निर्देश :–**

- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन करने हेतु ओ0टी0आर0 करना अनिवार्य है यह छात्र के सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि के लिए मान्य होगा।
- ओ0टी0आर0 जनरेट करने के लिए आधार आवश्यक है।
- जिन छात्रों के पास आधार कार्ड संख्या मौजूद नहीं है वह आधार नामांकन आई0डी0 (EID) का उपयोग करके ओ0टी0आर0 जनरेट कर सकते हैं। आधार नामांकन आई0डी0 (EID) के माध्यम से जिन छात्रों द्वारा ओ0टी0आर0 जनरेट किया जाएगा उन सभी के द्वारा एक माह के भीतर अपने आधार की जानकारी को पोर्टल पर अपडेट करना होगा।
- यदि नाबालिक छात्रों के पास आधार कार्ड संख्या मौजूद नहीं है तो वह सभी अपने माता–पिता / विधिक संरक्षक (Legal Guardian) के आधार कार्ड संख्या का उपयोग कर पंजीकरण कर सकते है।
- प्रत्येक छात्र की एक ओ0टी0आर0 आई0डी0 मान्य होगी, जबकि माता–पिता / विधिक संरक्षक (Legal Guardian) अधिकतम दो ओ0टी0आर0 (दो बच्चों हेतु) की अनुमति है। यदि किसी छात्र के एक से अधिक ओ0टी0आर0 पाए जाते हैं, तो उस छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा।
- पोर्टल पर आधार / आधार नामांकन आई0डी0 (EID) से मिलान करने के लिए अन्य प्रासंगिक जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, जन्मतिथि व लिंग) को अद्यतन किए जाने का विकल्प दिया गया है।
- अपने आधार के साथ आवेदन करने वाले नाबालिक छात्रों के माता–पिता / विधिक संरक्षक (कानूनी अभिभावक) यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिक छात्र–छात्रा के आधार नामांकन के लिए

आवेदन करते समय ओ0टी0आर0 में उपयोग किए गए समान जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, जन्मतिथि व लिंग) को अद्यतन करने का विकल्प दिया गया है।

- ओ0टी0आर0 एक यूनिक नम्बर है जो एन0एस0पी0 पर ई0केवाईसी0 पूर्ण होने के उपरान्त जनरेट होता है।

- **Reference** संख्या का प्रयोग कर **eKYC by FaceAuth** विकल्प का चयन करने के उपरान्त Face Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त एन0एस0पी0 पर ओ0टी0आर0 संख्या प्राप्त होगी।

- ओ0टी0आर0 (**One Time Registration**) के सफल पंजीकरण हेतु **Android** आधारित उपकरणों पर **NSP OTR** एवं **Aadhar Face RD** Application को **Google Play Store** से डाउनलोड करना होगा।

- जिन छात्र–छात्राओं को **Reference** संख्या प्राप्त नहीं हुई है ऐसे छात्र–छात्राओं को सर्वप्रथम **NSP OTR** एप्लीकेशन पर दिए गए विकल्प **Register** का चयन कर **Reference** संख्या जनरेट करनी होगी।

अतः महोदय उपरोक्तानुसार संस्थागत समस्त छात्र–छात्राओं को ओ0टी0आर0 (**One Time Registration**) किए जाने हेतु सूचित करने का कष्ट करें ताकि समयान्तर्गत छात्र–छात्राओं द्वारा ओ0टी0आर0 की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके महोदय प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं छात्रों के हितार्थ है इस हेतु आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीया,

(पूनम चमोली)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
देहरादून।

पत्रांकः /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय, समाज कल्याण, हल्द्वानी, नैनीताल की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आई0टी0सैल, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) महोदय को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित की अपने अधीनस्त सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का ओ0टी0आर0 करवाए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करना चाहें ताकि छात्र–छात्राओं द्वारा नवीन शैक्षणिक वर्ष 2024–25 हेतु ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन किए जा सकें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
देहरादून।